[2018] 1 एस.सी.आर. 821

मौविन गोडिनो

बनाम

गोवा राज्य

आपराधिक अपील सं. 315/2011

17 जनवरी, 2018

एन.वी. रमना और एस. अब्दुल नज़ीर, जेजे।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988: धारा 13 (1) (डी)(आई) और 13 (1)(डी)(द्वितीय) सपाठित धारा 120-बी आईपीसी-अपीलकर्ता-अभियुक्तों को दंडनीय अपराधों के लिए आरोपित किया गया था। अन्तर्गत धाराएँ 120-बी, 409,420,465 और 471 आईपीसी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 सपाठित 120-बी आईपीसी की धारा 13(1)(डी)(आई) और 13(1)(डी)(द्वितीय)-उच्च न्यायालय ने आरोपी धारा 120-बी, 409,420,465 और 471 आईपीसी अन्मोचित कर दिया, जबकि आरोपित धारा को बरकरार रखते हैं। 13(1)(डी)(आई) और 13(1)(डी)(द्वितीय) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम सपाठित धारा 120-बी आईपीसी को बरकरार रखा गया-अपील पर, आयोजितः मामले के तथ्यों को समग्र रूप से देखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा सुझाए गए आरोपों को तैयार करने में कोई त्रुटि नहीं थी।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 227-आरोपों का निर्धारण-आरोप तय करते समय न्यायालय को प्रथम दृष्टया मानक लागू करना चाहिए-मानक प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है-अभियुक्त के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला तब बनता है जब सभी पर साक्ष्य का संभावित मूल्य एक पूरे के रूप में लिए गए प्रभार में आवश्यक तत्व ऐसे हैं कि यह अदालत को ऐसे आवश्यक तत्वों से संबंधित तथ्यों के अस्तित्व में विश्वास करने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है या इसके अस्तित्व पर विचार करने के लिए पर्याप्त है कि एक विवेकपूर्ण आदमी को चाहिए, इस तथ्य पर कार्रवाई करने के लिए कि उन तथ्यों का अस्तित्व था या हुआ था-

हालांकि, इस स्तर पर, मामले के पक्ष और विपक्ष की जांच नहीं हो सकती है और सबूतों को तौला नहीं जा सकता है।

अपीलों का निपटारा न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि-

1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत आरोप तय करते समय एक अदालत को प्रथम दृष्टया मानक लागू करना चाहिए। यद्यपि इस मानक का प्रयोग प्रत्येक मामले में तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, अभियुक्त के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला तब कहा जाता है जब प्रामाणिक मूल्य के रूप में लिए गए सभी आवश्यक तत्वों पर साक्ष्य का संभावित मूल्य ऐसा होता है कि यह अदालत को विश्वास करने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है, ऐसे आवश्यक तत्वों से संबंधित तथ्यों के अस्तित्व में या इसके अस्तित्व पर विचार करने के लिए इतना संभावित है कि एक विवेकशील व्यक्ति को इस तथ्य पर कार्रवाई करनी चाहिए कि उन तथ्यों का अस्तित्व था या हुआ था। हालांकि, इस स्तर पर, मामले के पक्ष वि विपक्ष के पहलू की जांच नहीं हो सकती है और सबूतों को इस प्रकार नहीं तौलना चाहिए, जैसे कि वह एक परीक्षण कर रहा था। [पैरा 12] [827-ए-सी]; सज्जन कुमार बनाम सीबीआई (2010) 9 एससीसी 368: [2010] 11 एससीआर 669; राज्य बनाम ए. अरुण कुमार (2015) 2 एससीसी 417: [2014] 11 एससीआर 319; राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक, चेन्नई बनाम एस. सेल्वी और अन्य (2018) 1 स्केल 5 - का उल्लेख किया।

2. वर्तमान मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी-अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। 15.5.1996 और 1.8.1996 की कथित अधिसूचनाएं कैबिनेट की मंजूरी के बिना और नियमों का उल्लंघन करके जारी की गई थीं। मामले के तथ्यों को समग्र रूप से देखते हुए, मामले की खूबियों की पूरी तरह से जांच के पहलू पर जाना आवश्यक है, खासकर जब मुद्दा अभी भी केवल आरोपों के निर्धारण के चरण में है। उच्च न्यायालय द्वारा जैसा कि सुझाव दिया गया है, आरोपों के विरचन में कोई त्रुटि नहीं है, जब संभवतः रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री ने न्यायालय को ऐसा करने के लिए बाध्य किया। [पैरा 13] [827-ई-एफ]

एमआरएफ लिमिटेड बनाम मनोहर पर्रिकर और अन्य (2010) 11 एससीसी 374: [2010] 5 एससीआर 1081; हीरा लाल हरि लाल भगवती बनाम सीबीआई, नई दिल्ली (2003) 5 एससीसी 257: [2003] 3 एससीआर 1118-संदर्भित

केस लॉ संदर्भ-

[2010] 5 एससीआर 1081 पैरा 8 [2003] 3 एससीआर 1118 को पैरा 9 [2010] 11 एससीआर 669 को पैरा 12 [2014] 11 एससीआर 319 को पैरा 12 (2018) 1 स्केल 5 को संदर्भित किया गया है।

क्रिमिनल अपीलीय क्षेत्राधिकार आपराधिक अपील नं. 315/2011; बॉम्बे उच्च न्यायालय गोवा द्वारा पारित आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन संख्या 3/2007 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 26.10.2007 से क्रि.ए. नं. 314,313,312 और 311/2011

एमएल वर्मा, सीनियर सलाहकार., उमेश कुमार खेतान, सुश्री आशा गोपालन नायर, सुश्री निवेद नायर, सुश्री डिंपल नागपाल, पीतांबर दत्त नौटियाल, त्रिवेणी पोटेकर, चंदर शेखर अशरी, सुश्री बीनू तमता, सलाहकार- अपीलार्थी के लिए।

सुश्री ए. सुभाषिनी, श्रीमती अनिल कटियार, प्रताप वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमन, अनुज सरमा, सुश्री कनिका कलैयारसन (मैसर्स के लिए)। केजे जॉन एंड कंपनी), उमेश कुमार खेतान, सलाहकार- उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय **एन.वी. रमना, जे.** द्वारा दिया गया-

1. ये आपराधिक अपीलें, विशेष अनुमति के माध्यम से, अपीलकर्ताओं द्वारा एक सामान्य आदेश के खिलाफ दायर की जाती हैं, जो 26 अक्टूबर, 2007 को गोवा में उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 3,10,19,21 और 22/2007 में पारित किया गया था। जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों के खिलाफ विद्वान विशेष न्यायाधीश, पणजी द्वारा लगाए गए आरोपों- धारा 120-बी, 409,420,465 और 471 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के आरोपों को अपास्त कर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (डी) (आई) और 13 (1) (डी) (द्वितीय) के तहत धारा 120-बी, आईपीसी के साथ अपराध हेतु आरोप विर्चन का आदेश दिया।

2. संक्षेप में, इन सभी अपीलों में विवाद की उत्पत्ति 30 सितंबर, 1991 को गोवा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कैबिनेट द्वारा विधिवत अनुमोदित, जिसके अनुसार वे औद्योगिक इकाइयाँ जो उच्च तनाव के उपयोग के लिए आवेदन करती हैं या उनकी औद्योगिक इकाइयों को

कम तनाव बिजली की आपूर्ति पांच साल की अवधि के लिए उनके टैरिफ में 25% की छूट के लिए पात्र होगी। आपराधिक अपील सं. 315/2011 में अपीलकर्ता (अभियुक्त सं. 1) 22-12-1994 से 29-07-1998 की अवधि के दौरान गोवा राज्य के बिजली मंत्री थे जबकि आपराधिक अपील संख्या 313/2011 अपीलकर्ता (अभियुक्त सं. 2) उस समय एक लोक सेवक भी थे, जो मुख्य विद्युत अभियंता थे। 3 और 4 क्रमशः 2011 के आपराधिक अपील 314 में अपीलकर्ता कंपनी के प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशक थे (अभियुक्त सं. 6), जबकि आपराधिक अपील में 312/2011 अपीलकर्ता (अभियुक्त सं. 5) आपराधिक अपील संख्या में अपीलकर्ता कंपनी के महाप्रबंधक थे। अपील संख्या 311/2011 के अपीलार्थी (अभियुक्त सं. 7) अपीलकर्ता महाप्रबन्धक थे।

3. गोवा सरकार, आरोपी सं. 1 के कार्यकाल के दौरान बिजली मंत्री के रूप में, कैबिनेट की सहमति से, 31-03-1995 को एक और अधिसूचना जारी की, जो पहले की अधिसूचना 30-09-1991 को रद्द करने का कोई कारण बताए बिना रद्द कर दी गई थी। बाद में, यह आरोप लगाया जाता है कि 15-5-1996 को एक और अधिसूचना जारी की गई थी, बिना मंत्रिमंडल ने 'अतिरिक्त उच्च तनाव' बिजली आपूर्ति की एक और श्रेणी शुरू करने की मंजूरी दी और उसके बाद एक और अधिसूचना दिनांक 01-08-1996 जारी की गई, फिर से कैबिनेट की मंजूरी के बिना, 25% छूट का लाभ बहाल करते हुए, आरोपी सं. 1 के पहल पर केवल आरोपी सं. 6 और 7 कंपनियां को लाभ पहुँचाने के लिए।

4. एक एमएलए द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, राज्य ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाया कि एक आपराधिक साजिश में प्रवेश करके उन्होंने दोनों अपीलकर्ता कंपनियों (अभियुक्त सं. 6 और 7) को गलत लाभ प्रदान किया। और अवैध तरीकों से बिजली शुल्क पर 25% छूट का लाभ उठाने के लिए दो कंपनियों का पक्ष लिया और इससे गोवा सरकार के खजाने को रु. 4,52,77,856/- का भारी नुकसान हुआ।

5. अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए, विशेष न्यायाधीश, पणजी ने 8 "दिसंबर, 2006 के आदेश से अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए-धारा 120-बी, 409,420,465,468 और 471 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए और धारा 13 (1) (डी) (@) और 13 (1) (डी) (द्वितीय) के तहत भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ पढ़ा गया। आदेश से क्षुब्ध अपीलकर्ताओं ने आपराधिक पुनरीक्षण आवेदनों के

माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। तथ्य के विश्लेषण पर उच्च न्यायालय, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मामले के तथ्य धोखाधड़ी के अपराध का खुलासा नहीं करते हैं और विश्वास के आपराधिक उल्लंघन का कोई अपराध नहीं था। तदनुसार, अपीलकर्ताओं को धारा 120-बी, 409,420,465,468 और 471, आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों से मुक्त कर दिया गया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने पाया कि धारा 13 (1) (डी) (आई) और 13 (1) (डी) (द्वितीय) के तहत धारा 120-बी आईपीसी के साथ पढ़ने के लिए आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त प्रथम दृष्टया सामग्री है। व्यथित महसूस करते हुए इस प्रकार, अभियुक्त-अपीलकर्ता इन अपीलों में हमारे सामने हैं।

6. हमने श्री एम. एल. वर्मा ने आपराधिक अपील संख्या 315/2011 में अपीलकर्ता के लिए उपस्थित वरिष्ठ वकील सुश्री बीनू तमता आपराधिक अपील संख्या 3111/2011 में अपीलकर्ता के लिए उपस्थित होने वाले वकील सुश्री आशा गोपालन नायर को आप. अपील सं. 313/2011 के अपीलकर्ता के लिए तथा गोवा राज्य के विद्वान अधिवक्तगण को विस्तार में सुना गया।

7. आपराधिक अपील संख्या 315/2011 के अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा सिविल अपील 3206-3217/1999 में पारित 13 फरवरी, 2011 के आदेश पर भरोसा व्यक्त किया के साथ काम करते हुए, प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ताओं के ख़िलाफ़ कार्यवाही आगे जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उक्त आदेश इस प्रकार है:

"उच्च न्यायालय ने आक्षेपित फैसले से यह माना है कि गोवा सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 31 मार्च, 1998 को तत्काल प्रभाव से छूट जारी करने के साथ-साथ साठ मासिक किस्तों में शासित होने के लिए सहमत छूट के निलंबन को निलंबित कर दिया गया है। प्रभावकारिता और इसलिए, अमान्य है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि 24 जुलाई, 1998 की अधिसूचना कानूनी और वैध है। नतीजतन उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि रिट याचिकाकर्ता 25% छूट के हकदार हैं 26 जुलाई, 1998 तक बिजली शुल्क में इसे वर्तमान अपीलों के माध्यम से चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा अपील का दूसरा सेट दायर किया गया है, जिसके तहत और जहां उच्च न्यायालय ने माना है कि 27 जुलाई 1998 की अधिसूचना वैध है। हमने पार्टियों के लिए वकील को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है। उच्च न्यायालय ने समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त विचार

किया है और सार्वजनिक हित के रूप में हमारे अनुसार, इस मामले का बहुत संतुलित दृष्टिकोण है। इसलिए, हम मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं अपील के दोनों सेट विफल हो जाते हैं और तदनुसार खारिज कर दिए जाते हैं। लागत के अनुसार कोई आदेश नहीं होगा।

8. हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखते हुए कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ शिकायत-अपीलकर्ताओं को अपीलकर्ता के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने उन आरोपों को विफल कर दिया था, जो गलत हैं, और एक दृश्य के साथ मनगढ़ंत हैं राजनीतिक प्रतिशोध। जबकि 1991 से राज्य में बिजली छूट नीति मौजूद थी और 1993 में, उच्च तनाव श्रेणी से बाहर एक अतिरिक्त उच्च तनाव श्रेणी सरकार द्वारा शुद्ध के लिए बनाई गई थी। औद्योगिक उपभोक्ताओं को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने की स्थिति। एमआरएफ लिमिटेड बनाम मनोहर पर्रिकर एंड अदर्स, (2010) 11 एससीसी 374 में इस न्यायालय के एक फैसले पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए, वरिष्ठ वकील ने तर्क रखा कि इस अदालत ने पहले से ही मुकदमेबाजी के एक दौर में, विचाराधीन अधिसूचनाओं पर विचार व्यक्त किया है यह विचार कि अपीलकर्ता द्वारा यहां लिया गया निर्णय-आरोपी नं. 1 एक मंत्री के रूप में संतुलित था।

9. सुश्री बीनू तमता, अपीलकर्ताओं के आपराधिक अपील सं. 311 और 312/2011 के लिए उपस्थित होने वाली वकील ने प्रस्तुत किया कि वास्तव में, प्रश्न में शिकायत 2.2.1999 को पहले ही बंद कर दी गई थी, लेकिन राज्य में सत्ता में आने पर शिकायतकर्ता की राजनीतिक इच्छा को पूरा कर, उनके पहल पर शिकायत को फिर से खोल दिया गया। अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय करने में नीचे के न्यायालयों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत है क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने एक अवलोकन किया कि परिस्थितियां संदेह को जन्म देती हैं कि आरोपी सं. 1 से 5 ने आरोपी सं. 6 व 7 कंपनियों को लाभ देने की साजिश रची। मात्र संदेह अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय करने की अपेक्षा नहीं करता है। विद्वान वकील ने गलत तरीके से हीरा लाल हरि लाल भगवती बनाम सीबीआई, नई दिल्ली, (2003) 5 एससीसी 257, इस न्यायालय के एक निर्णय पर निर्भरता व्यक्त की गयी और प्रस्तुत किया कि प्रश्न में अधिसूचनाओं के आधार पर, अपीलकर्ता द्वारा कोई लाभ नहीं मिला था और जो भी राशि का भुगतान किया जाना था, पहले ही भुगतान कर दिया गया है, और तदनुसार अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप हटा दिए जाने चाहिए।

10. आपराधिक अपील संख्या 3/3/2011 में अपीलकर्ता के लिए उपस्थित होने वाले वकील, सुश्री आशा जी. नायर ने प्रस्तुत किया कि उनकी आधिकारिक क्षमता में अपीलकर्ता ने केवल अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के सामान्य पाठ्यक्रम में वरिष्ठों द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्रस्तुतियाँ दी थीं। कल्पना के किसी भी खंड द्वारा, अपीलकर्ता को साजिशकर्ता के रूप में बराबर नहीं किया जा सकता है जब निर्णायक अधिकारी सचिव और मंत्री थे। उसने आगे प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता पहले ही फिर से अपनी सेवा से थक गए और वस्तुतः उनकी कथित साजिश में कोई भूमिका नहीं है और यह आरोप कि वह मंत्री के करीब हैं, उनके खिलाफ आरोप लगाने के लिए आधार नहीं बनाते हैं।

11. आक्षेपित फैसले का समर्थन करते हुए राज्य के लिए विद्वान वकील ने तर्क, प्रस्तुत किया कि उस आरोपी सं. 1 व 2 के ख़िलाफ़ अपराध को स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री थी। प्रासंगिक समय में लोक सेवक होने के नाते, आरोपी सं. 6 और 7 को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए एक आपराधिक साजिश में प्रवेश किया था। अपने अधिकारियों आरोपी सं. 3 और 4 की मिलीभगत से। आपराधिक साजिश करते हुए, उन्होंने अपने पदों का दुरुपयोग किया और सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया और आरोपी को लाभ पहुंचाया गैरकानूनी तरीकों से यह भी तर्क दिया जाता है कि आरोपी नं. 1 ने अपनी आधिकारिक क्षमता का दुरुपयोग करते हुए एक गलत दस्तावेज तैयार किया जिसे वास्तविक दर्शाते हुए सरकार को नीतिगत निर्णय लेने में धोखा दिया और आरोपी कंपनियों को बिजली की आपूर्ति पर 25% छूट का लाभ उठाने में सक्षम बनाया। उन्होंने अंततः एक प्रस्तुतिकरण किया कि सभी अभियुक्तों के दुष्कर्मों पर ध्यान देते हुए, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में यह राय व्यक्त की है कि आरोपों को सभी अभियुक्तों पर लागू करने के लिए प्रथमदृष्ट्या सामग्री है, इसलिए इस न्यायालय के पास मामले में हस्तक्षेप करने और फिर से विचार करने का कोई अवसर नहीं है।

12. शुरुआत में आरोपों के निर्धारण से संबंधित कानून और उन मानकों पर ध्यान देना उचित होगा जो अदालतों को आरोप लगाते समय लागू करना चाहिए। यह अच्छी तरह से तय है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत आरोप तय करते समय एक अदालत को प्रथम दृष्टया मानक लागू करना चाहिए। यद्यपि इस मानक का आवेदन प्रत्येक मामले में तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, अभियुक्त के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला तब कहा जाता है जब सभी तथ्यों पर साक्ष्य का संभावित मूल्य व आवश्यक तत्व इस तरह के हैं कि यह अदालत को इस तरह के आवश्यक तत्वों से संबंधित तथ्यों के अस्तित्व में विश्वास करने के

लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है या इसके अस्तित्व पर विचार करने के लिए इतना संभावित है कि एक विवेकपूर्ण आदमी को उस पर कार्य करना चाहिए उन तथ्यों का अस्तित्व था या हुआ था। हालांकि, इस स्तर पर, मामले के पक्ष और विपक्ष की जांच नहीं हो सकती है और सबूतों को इस प्रकार नहीं तौलना चाहिए जैसे कि वह एक परीक्षण कर रहा था। [संदर्भ सज्जन कुमार बनाम सीबीआई, (2010) 9 एससीसी 368; राज्य बनाम ए. अरुण कुमार, (2015) 2 एससीसी 417; राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक, चेन्नई बनाम सेल्वी और अन्य (2018) 1 स्केल 5।

13. संबंधित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने और रिकॉर्ड के अवलोकन से विशेष रूप से आक्षेपित निर्णय, घटनाओं के अनुक्रम के प्रकाश में, प्रथम दृष्टया, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्तों-अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। कथित तौर पर, 15-5-1996 और 1-8-1996 की अधिसूचनाएं कैबिनेट की मंजूरी के बिना और नियमों का उल्लंघन करके जारी की गई थीं। मामले के तथ्यों को समग्र तरीके से देखते हुए, हम इसे आवश्यक नहीं समझते हैं, मामले की योग्यता की पूरी तरह से जांच के पहलू में जाने के लिए, खासकर जब मुद्दा अभी भी केवल आरोपों के निर्धारण के चरण में है। उच्च न्यायालय द्वारा सुझाए गए आरोपों को तैयार करने में कोई त्रुटि नहीं है, जब संभवतः रिकॉर्ड पर सामग्री ने न्यायालय को ऐसा करने के लिए बाध्य किया।

14. उपरोक्त चर्चा के प्रकाश में, हम आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं देखते हैं। इसलिए, हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है। हालांकि, अपीलकर्ताओं के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान वकील, इस स्तर पर ट्रायल कोर्ट, सामग्री, निर्णय और इस न्यायालय के पहले पारित आदेश से पहले जगह चाहते हैं जो हमारे सामने संदर्भित हैं। हम ऐसा करने के लिए विद्वान वकील को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।

15. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, अपील निस्तारित की जाती है।

अपील का निपटारा किया।

कल्पना के. त्रिपाठी

Jai Shankar Mishra